फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर

सीताराम बनाम मुन्नी देवी वगैरा

218 / 2012

क्रम आज्ञा अधिकारी	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
[illegible]	[illegible]	

पृथक–पृथक विकय पत्रों द्वारा खातेदारों को भूमि बेचान
प्रतिवादीगण व वादीगण वर्तमान मे खातेदार ही नही है।
स्थिति से भी वादीगण का वाद खिलाफ कानून प्रस्तुत किया
है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के उप चरण क व
अनुसार वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से
फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी/वादी ने अपने लिखित बहस पेश कर
किया गया कि प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना
आदेश 7 नियम 11 की परिधि में नही आता है। प्रतिवादी
आधारहीन तथ्यों के आधार पर प्रा0 पत्र पेश किया है जो
खारिज है। आ0 7(11) में वाद पत्र तब ही खारिज किया
जब जहा वाद हेतुक प्रकट नही किया जाता है। जहा
अनुतोष का मूल्याकंन कम किया गया है तथा मूल्याकंन को
करने के लिए न्यायालय द्वारा समय दिये जाने के उपरान्त
मूल्याकंन सही करे में वादी आवश्यक रहता है तथा वाद के
से प्रकट होता है कि पत्र विधि द्वारा वर्जित है, वाद पत्र दो
मे फाईल नही किया जाता है। इस प्रकार वादी ने विधि
वाद पत्र पेश किया तथा उक्त वर्णित सभी मूल्यों को वाद
समावेश किया है। वर्तमान खसरा नम्बर 179/2 इसी खसरा
179 से बना है इसी सुरत में वादी द्वारा वाद पत्र में केवल
नम्बर 179 लिख देने से वाद पत्र खारिज नही किया जा
है। प्रतिवादीया प्रार्थना पत्र विधि समत नही होने व आधारहीन
काबिले खारिज है। प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र मे कहीं
वर्णित नही किया है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। रही
वाद हैतुक प्रकट कहने की तो वादी ने अपने वाद को स्पष्ट
से वाद कारण की दिनांक 10.08.2012 को वर्णित की है।
प्रकार वादी ने अपने वाद में वाद कारण व वाद कारण घटित
की तारीख वाद पत्र में अंकित किये। यदि वाद कारण इस
को घटित नही हुआ तो उसे प्रति वादी अपने सक्षम साक्ष्यो
साबित करेगा। आज इस स्थिति में वादी का वाद विधि
खारिज होने योग्य नही है। प्रतिवादी द्वारा झुठे व मनगढंत
पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो काबिले खारिज
योग्य है।

अतः वकील उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली
अवलोकन करने पर पाया कि वादीगण के वाद वर्णित कथनों
स्पष्ट रूप से वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित है। वादीगण
द्वारा पृथक–पृथक विकय पत्रों द्वारा खातेदारों को भूमि बेचान
है। प्रतिवादीगण व वादीगण वर्तमान मे खातेदार ही नही है।
स्थिति से भी वादीगण का वाद खिलाफ कानून प्रस्तुत किया
है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 88,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विधि विरूद्व है।
प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7
11 सी0पी0सी को स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद
विरूद्व होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद
दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़